

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी

समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 723/2013

संस्थित दिनांक- 29.11.2013

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र-अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.अभियोजन

वि रु द्ध

शिशुपाल पिता भगू उर्फ भागीरथ यादव,

आयु-30 वर्ष, व्यवसाय-खेती,

निवासी- होली तोड़ा मोहल्ला, अंजड़

थाना अंजड़, जिला बड़वानी

.....आरोपी

अभियोजन द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
आरोपी द्वारा	- श्री आर.के. श्रीवास अधिवक्ता ।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 27/01/2016 को घोषित)

1. आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 309/13 के आधार पर दिनांक 24.10.13 को शाम लगभग 4:00 बजे नवलपुरा के आगे अंजड़-बड़वानी रोड़ पुलिया पर वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.46 ए 3077 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर प्रवीण एवं राजकुंवरबाई का जीवन संकटापन्न कर उन्हें घोर उपहति कारित करने तथा प्रवीण की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो कि आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती हैं, के लिये भा.द.सं. की धारा-279, 338 एवं धारा-304(ए) का अभियोग है ।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था ।
3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24.10.13 को शाम लगभग 4:00 बजे राजकुंवरबाई अपने पुत्र प्रवीण के साथ मोटरसायकल पर बैठकर ग्राम बांदरकच्छ जा रही थी, मोटरसायकल प्रवीण चला रहा था, शाम लगभग 4:00 बजे वे अंजड़ जीनिंग फैक्ट्री के पास पहुँचे तभी पीछे से आ रहे अज्ञात ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को तेज रफ़्तार एवं लापरवाही से चलाकर उनकी मोटरसायकल को टक्कर मार दी, जिससे वे दोनों गिर गये थे और उन्हें चोटें आई थीं । प्रवीण को सिर में चोटें आई थीं और राजकुंवरबाई को हाथ-पैरों में चोटें आई थीं । गांव वालों ने 108 एम्बुलेंस बुलाकर शासकीय अस्पताल बड़वानी पहुंचाया था । ईलाज के दौरान प्रवीण की मृत्यु होने पर मर्ग क्रमांक 52/13 दर्ज

कर जांच में लिया गया तथा जांच उपरांत थाना अंजड़ में दुलीचंद पाटीदार द्वारा अज्ञात ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 309/13 दर्ज कर विवेचना पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया ।

4. उक्त अनुसार मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त पर भा. द.सं. की धारा-279, 338, 304(ए) के आरोप लगाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया तथा द.प्र.सं की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष हैं, उसे झूठा फँसाया गया है, किन्तु बचाव में अभियुक्त ने किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने दिनांक 24.10.13 को शाम लगभग 4:00 बजे नवलपुरा के आगे अंजड़ बड़वानी रोड़ पुलिया पर वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.46 ए 3077 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर प्रवीण एवं राजकुंवरबाई का जीवन संकटापन्न किया ?
2	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.46 ए 3077 को लोकमार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर राजकुंवरबाई को घोर उपहति कारित की ?
3	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.46 ए 3077 को लोकमार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मृतक प्रवीण की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो कि आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है ?
4	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

:- साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-

6. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षी राजकुंवरबाई (अ.सा.1), अरविंद (अ.सा.2), राकेश (अ.सा.3), रमजान (अ.सा.4), कालु (अ.सा.5), भागीरथ (अ.सा.6), स.उ.नि. जगदीश कलमे (अ.सा.7), पण्डु (अ.सा.8), डॉ. महेश निंगवाल (अ.सा.9), डॉ. अमीचंद चौहान (अ.सा.10), स.उ.नि. रामआसरे यादव (अ.सा.11), दुलीचंद पाटीदार (अ.सा.12) का परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 का निराकरण :-

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी राजकुंवरबाई (अ.सा.1) का कथन है कि वह अभियुक्त को नहीं जानती है । मृतक प्रवीण उसका पुत्र था । एक वर्ष पूर्व वह मोटरसायकल पर बैठकर अपने पुत्र प्रवीण के साथ ग्राम बांदरकच्छ

जा रही थी, शाम लगभग 4:00 बजे अंजड़ जीनिंग मील के सामने उनकी मोटरसायकल को सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी थी, ट्रैक्टर चालक तेज गति से ट्रैक्टर चलाकर ला रहा था, दुर्घटना में वे दोनों गिर गये थे और उन्हें चोटे आई थीं । बड़वानी अस्पताल में ईलाज के दौरान प्रवीण की मृत्यु हो गयी थी । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनकी मोटरसायकल को पीछे से किसी भी ट्रैक्टर ने टक्कर नहीं मारी थी ।

8. साक्षीगण अरविंद (अ.सा.2), राकेश (अ.सा.3) ने भी ट्रैक्टर की टक्कर में राजकुंवरबाई एवं प्रवीण को चोटे आने के संबंध में कथन किये हैं, साक्षियों का यह भी कथन है कि उन्हें बाद में पता चला था कि किसी ट्रैक्टर के चालक ने तेजी से ट्रैक्टर को चलाकर प्रवीण की मोटरसायकल को टक्कर मारी थी । साक्षियों ने सफीना-फार्म प्र.पी.1, नक्शा लाश पंचायतनामा प्र.पी.2 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं तथा साक्षी राकेश (अ.सा.3) ने नुकसानी पंचनामा प्र.पी.3 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं ।

9. साक्षी रमजान (अ.सा.4) का कथन है कि उसने डेढ़ वर्ष पूर्व साकेत जीनिंग के सामने मोटरसायकल की दुर्घटना में दो व्यक्तियों को चोटे लगी होना देखी थीं तथा उन व्यक्तियों को अस्पताल भिजवाया था । न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने देखा था कि ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.46 ए 3077 के चालक ने पीछे से मोटरसायकल को टक्कर मार दी थी। यहां तक कि साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.4 का कथन देने से भी इन्कार किया है ।

10. साक्षी कालू (अ.सा.5) एवं भागीरथ (अ.सा.6) ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है, उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक-प्रश्न पूछे जाने पर साक्षियों ने अभियोजन के समस्त सुझावों को अस्वीकार किया है । यहां तक कि पुलिस को प्र.पी.6 एवं प्र.पी.5 और प्र.पी. 7 के कथन देने से भी स्पष्ट इन्कार किया है ।

11. साक्षी स.उ.नि. जगदीश कलमे (अ.सा.7) ने दिनांक 29.10.13 को थाना अंजड़ में पुलिस चौकी अस्पताल बड़वानी से मार्ग क्रमांक 072/13 की सूचना प्राप्त होने पर थाना अंजड़ में मार्ग क्रमांक 52/13 दर्ज करने के संबंध में कथन किये हैं तथा प्र.पी.9 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं ।

12. साक्षी पंडु (अ.सा.8) का कथन है कि उसने थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 309/13 में जप्त ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.46 ए 3077 का यांत्रिकीय परीक्षण करने पर उसे सही अवस्था में होना पाया था । साक्षी ने उसके परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी. 10 को भी प्रमाणित किया है । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि पुलिस ने प्र.पी.10 बनाकर उस पर हस्ताक्षर करवा लिये थे ।

13. साक्षी डॉ. महेश निंगवाल (अ.सा.9) ने दिनांक 24.10.13 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड़ में थाना अंजड़ द्वारा भेजे गये आहत प्रवीण पिता मंशाराम आयु 20 वर्ष का मेडिकल-परीक्षण करने पर उसे कान और नाक में खून बहना, चेहरे और सिर में कटी-फटी चोटे होना पाया था । साक्षी का यह भी कथन है कि आहत को सर्जिकल वार्ड में भर्ती करके उसे ऑपरेशन एवं एक्स-रे की सलाह दी थी तथा

अपने परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.11 को प्रमाणित किया है । इस साक्षी ने आहत राजकुंवरबाई पति मंशाराम का मेडिकल-परीक्षण करने पर उसके सिर और दाहिने हाथ में चोटे होना पाया था तथा अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.12 प्रमाणित किया है । साक्षी का यह भी कथन है कि उसने राजकुंवरबाई का एक्स-रे परीक्षण करने पर उसे 3 फ्रैक्चर होना पाया था और अपना एक्स-रे परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.13 प्रमाणित किया है । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आहत को आई चोटे मोटरसायकल से गिरने से आना संभव है ।

14. साक्षी डॉ. अमीचंद चौहान (अ.सा.10) का कथन है कि दिनांक 25.10.13 को जिला चिकित्सालय बड़वानी में मृतक प्रवीण पिता मंशाराम आयु 20 वर्ष निवासी ग्राम पिछोड़ी के शव का परीक्षण करने पर उसकी मृत्यु अत्यधिक खून बहने से और सिर में आई चोटों के कारण 24 घण्टे के भीतर होना पाया था । साक्षी ने शव-परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.14 को भी प्रमाणित किया है ।

15. साक्षी दुलीचंद पाटीदार (अ.सा.12) ने दिनांक 29.10.13 को थाना अंजड़ के मार्ग क्रमांक 52/13 मृतक प्रवीण पिता मंशाराम की अकाल मृत्यु की जांच के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करने और उनके कथनों के आधार पर थाना अंजड़ में अज्ञात ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 309/13 प्र.पी.16 का दर्ज करने के संबंध में कथन किये हैं । साक्षी का कथन है कि अग्रिम अनुसंधान हेतु डायरी स.उ.नि. रामआसरे यादव को सौंपी थी । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि साक्षियों ने उसे ट्रैक्टर का क्रमांक और अभियुक्त का नाम नहीं बताया था और प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध लेखबद्ध की थी ।

16. साक्षी राम आसरे यादव (अ.सा.11) का कथन है कि दिनांक 29.10.13 को उसने थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 309/13 की विवेचना के दौरान भागीरथ के बताये अनुसार नक्शामौका प्र.पी.6 का बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने क्षतिग्रस्त मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.46 बी 9365 का नुकसानी पंचनामा प्र.पी.3 का बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । साक्षी का कथन है कि उसने अभियुक्त के पेश करने पर ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.46 ए 3077 को दस्तावेजों एवं अभियुक्त की चालक अनुज्ञप्ति सहित प्र.पी.15 के अनुसार जप्त किया था । साक्षी का कथन है कि उसने साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि भागीरथ, कालू ने उसे प्र.पी.7 एवं प्र.पी.5 के कथन देते समय ट्रैक्टर का क्रमांक एवं अभियुक्त का नाम नहीं बताया था । साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना की रिपोर्ट अज्ञात ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध लिखायी गयी थी । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने साक्षीगण के कथन मन से लेखबद्ध कर लिये हैं तथा वह अभियुक्त के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है ।

17. इस प्रकार स्पष्ट रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.16 अज्ञात ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध दर्ज की गयी है तथा किसी भी साक्षी ने न्यायालय में अभियुक्त का नाम एवं ट्रैक्टर का क्रमांक नहीं बताया है । घटना के आहत साक्षी राजकुंवरबाई (अ.सा.1) ने भी अभियुक्त की पहचान घटना कारित करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की है, ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक 24.10.13 को वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.46 ए 3077 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या

उपेक्षापूर्वक चलाकर प्रवीण एवं राजकुंवरबाई का जीवन संकटापन्न कर उन्हें घोर उपहति कारित की गयी थी तथा प्रवीण की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती हैं ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4 'निष्कर्ष' एवं 'दण्डादेश' :-

18. उक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन अपना मामला संदेह से परे अभियुक्त के विरुद्ध पूर्णतः प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है । अतः यह न्यायालय अभियुक्त शिशुपाल पिता भगू उर्फ भागीरथ आयु-30 वर्ष, व्यवसाय-खेती, निवासी होली तोड़ा मोहल्ला अंजड़, थाना अंजड़ जिला बड़वानी को संदेह का लाभ देते हुए भा.द.वि. की धारा-279, 338 एवं धारा-304(ए) के आरोप से दोषमुक्त घोषित करता है ।

19. अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

20. अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए ।

21. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.46 ए 3077 पूर्व से सुपर्दगी पर है, सुपर्दगीनामा बाद अपील अवधि निरस्त समझा जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.